

## उत्तराखण्ड में समेकित बाल विकास परियोजना केन्द्रों पर उपलब्ध आहार का बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

अमिता अरोड़ा, शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग, ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, राजस्थान

पूर्णिमा श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका, गृह विज्ञान विभाग, ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, राजस्थान

### सार

आहार प्रत्येक प्राणी के लिए अति आवश्यक तत्व है। आहार से शरीर को जहाँ ऊर्जा मिलती है वहीं वह शरीर को स्वस्थ व सुन्दर बनाये रखता है। आहार की आवश्यकता प्रत्येक शिशु, बच्चे, वयस्क, प्रौढ़ तथा बूढ़ों को होती है। प्रस्तुत शोध के प्राप्त परिणाम से ज्ञात होता है कि अधिकांश आँगनबाड़ी केन्द्रों पर गुणवत्तायुक्त आहार रेसिपी एवं मीनू के अनुसार मानक के तहत उपलब्ध हो जाता है। इससे सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों को नई दिशा प्राप्त हो सकती है, साथ ही आईसीडीएस परियोजना से जुड़े कार्यकर्ता/कार्यकर्त्रियाँ अपने निष्पादन-स्तर में सुधार करने को प्रेरित हो सकें। पूरक आहार लाभान्वितों के बीएमआई पर दृष्टिपात करने से निराशाजनक तस्वीर सामने आती है कि आईसीडीएस विश्व की सबसे बड़ी एवं वृहद परियोजना हाने के बाद भी भार एवं लम्बाई सम्बन्धी कुछ आयु वर्ग के बच्चों के परिणामों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी आयु वर्ग के पूर्व-विद्यालयीय बच्चे मानवमैतिक मानक को पूरा नहीं करते, जिसका मुख्य कारण बढ़ती महँगाई के अनुरूप आईसीडीएस केन्द्रों को पर्याप्त धनराशि की अनुपलब्धता हो सकता है। आईसीडीएस कार्यकर्त्रियाँ वर्तमान धनराशि में खाद्य-सामग्री को क्रय कर लेती हैं परन्तु बच्चों को आयु के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त आहार उपलब्ध कराने में असमर्थ होती हैं। अधिकांश केन्द्रों पर अलग से आईसीडीएस केन्द्र का भवन तथा डिब्बे एवं कन्टेनर की अनुपलब्धता का भी खाद्य-सामग्री की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

मुख्य शब्द: बाल विकास, परियोजना, केन्द्र, पूरक आहार, उपलब्धता,

### 1. परिचय

स्वास्थ्य का तात्पर्य—शरीर के सभी अंग एवं स्नायु में पूर्ण सामंजस्य रखते हुए, अपनी अपेक्षित क्षमता के अनुरूप कार्य कर सके। इसकी पहचान साफ—सुथरी त्वचा, चमकदार आँखें, कान्तिमय चेहरा, सन्तुलित सुगठित शरीर, पर्याप्त भूख लगाना, मलाशय एवं मूत्राशय का नियमित रूप से कार्य करना तथा ज्ञानेन्द्रियों द्वारा शरीर की क्रियाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन से होती है। मानव संसाधन विकास के एजेन्डे में बच्चों को प्रथम वरीयता प्रदान किया गया है। इसलिए नहीं कि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, वरन् इसलिए कि उनके स्वास्थ्य को ठीक से पोषित किया जा सके; ऊर्जावान बनाया जा सके; और उनका सम्पूर्ण शारीरिक; मानसिक और सामाजिक विकास किया जा सके, जो किसी भी राष्ट्र के उत्थान में अहम भूमिका का निर्वाह कर सकें किसी विद्वान ने कहा भी है, कि बचपन असहाय की अवस्था होती है। अन्य अधिकांश प्राणियों के बच्चे पैदा होने के कुछ देर बाद ही उठने—बैठने और चलने लगते हैं, जबकि मानव का बच्चा केवल रोने, हँसने व हाथ—पैर हिलाने—डुलाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता है।

ऐसी स्थिति में वह परिवार के सदस्यों और समाज पर निर्भर रहकर अपने भविष्य की ओर निहारता रहता है। देश की बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या ने खाद्यान्न—उत्पादन की मात्रा औरगुणवत्ता को बहुत प्रभावित किया है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय सुलभ खाद्य—वस्तुओं के प्रयोग का ज्ञान माताओं के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यदि माता को उचित खाद्य—वस्तुओं का ज्ञान होता है, तो वह सीमित साधनों में ही पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है। जैसे (अमर उजाला) खून की कमी या अनीमिया भारतीय महिलाओं की आम बीमारी है। इससे बचने के लिए रोज थोड़ी मात्रा में मूंगफली और गुड़ खाये, पानी खबू पीये, खुली हवा में टहला करें और अच्छी नीद लें। इस तरह महिलायें खाद्य—वस्तुओं के ज्ञान से खून की कमी (एनीमिया) से बच सकती हैं। ब्रूडी (1978) का मत है कि मावन—जीवन की प्रत्येक अवस्था में परिवार, देखभाल व सेवा प्रदान करने वाली प्राथमिक इकाई है, जो वृद्धों एवं बच्चों के लिए औपचारिक सामाजिक व्यवस्था की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार अधिकांश माता—पिता शिक्षित होते हुए भी अपने बच्चों का उचित रूप से पालन—पोषण तथा आहार की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटी आयु के बालकों की आवश्यकता के विषय में विभिन्न तथ्यों से अनभिज्ञ रहते हैं। जैसे—स्तनपान के महत्व के विषय में ज्ञान, बच्चों को पूरक—आहार देने की आवश्यकता, एक छोटे बच्चे को वयस्कों के समान पूर्ण भाजे न खिलाने की आवश्यकता के विषय में ज्ञान, प्रतिदिन हरी—सब्जियों की थोड़ी मात्रा, बच्चों को खिलाने के सम्बन्ध में ज्ञान, थोड़ी मात्रा में तेल या घी के साथ परिवार के साधारण भाजे न को बच्चों के लिए ऊर्जायुक्त बनाने के सम्बन्ध में ज्ञान

इत्यादि। इन पोषण सम्बन्धी तथ्यों की अज्ञानता एवं माताओं द्वारा बच्चों में संतोषजनक पोषण प्रदान न करने के कारण, बच्चे विकारग्रस्त हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में हैक्सटाने महोदय (1987) ने उल्लेख किया था कि “विकासशील देशों के निर्धन परिवारों में कुपोषण बहुत अधिकता से पाया जाता है, जिसके स्वरूप बच्चे पर्याप्त ऊर्जा नहीं ग्रहण कर पाते हैं।”

विगत अनेक वर्षों से बच्चों के खान-पान, आहार एवं पोषण के सम्बन्ध में देश में किये गये कुछ अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जो बच्चे आहार-ग्रहण कर रहे हैं, उससे उन्हें भारतीय अनुमोदित प्रोटीन एवं कैलोरी मात्रा के तुल्य उससे कम या अधिक प्राप्त हो रहा है। हैदराबाद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान (1999) द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार ‘निम्न वर्ग के 65 प्रतिशत बच्चे साधारण तथा 18 प्रतिशत बच्चे गम्भीर रूप से पौष्टिक आहार के अभाव में पीडित है।’ बच्चों को सन्तोषजनक विकास प्राप्त करने के लिए माँ के दूध के अतिरिक्त पूरक-आहार की भी आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में ह्वाइट हेड (1981) इत्यादि ने भी अपना मत व्यक्त किया था कि “स्तनपान करने वाले शिशु एवं बच्चे अपनी खाद्य-कैलोरी की आवश्यकता को पूरा कर पाने में असमर्थ होते हैं।” सम्पूर्ण भारतवर्ष में जनकल्याण एवं समेकित बाल विकास परियोजना के तहत गर्भवती माताओं को खाद्य-पदार्थ उपलब्ध कराये जा रहे हैं, इसके बावजूद भी कम वजन के जन्म लेने वाले बच्चों की दर अब भी 30 प्रतिशत है। हालांकि 28-10-2001 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार और राज्य सरकारों को प्रत्येक पूर्व-विद्यालयीय बच्चों को 300 कैलोरी एवं 8-10 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन तथा धातृ माताओं को 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी भारत के लगभग 15.79 कराड़े बच्चों में से आधी संख्या में बच्चे अपर्याप्त पोषण के शिकार हैं, जो कि 0-6 वर्ष आयु-समूह के हैं। ये बच्चे भारत के सम्पूर्ण आबादी में 15.42 प्रतिशत स्थान रखते हैं। पी. रामचन्द्रन (2007)के अनुसार ‘गरीबी और मृत्युदर घटकर 50 प्रतिशत से भी कम रह गयी है, शिशु जन्मदर घटकर 40 प्रतिशत रह गया है परन्तु बच्चों में अपर्याप्त पोषण दर 20 प्रतिशत ही घट पायी है।’ कल्याणी (2007) ने अध्ययन में पाया कि उच्च आयसमूह के एक-तिहाई बच्चे, जिन्होंने किसी भी अभाव का अनुभव नहीं किया है वे भी अपर्याप्त पोषण के शिकार हैं। बच्चों में अपर्याप्त पोषण दर के उच्च होने का मुख्य कारण कम वजन के जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं, गरीबी और छोटे बच्चों के आहार सम्बन्धी देख-रेख, सही दिशा में न करने के कारण देखी जा रही है। दूसरी ओर उच्च आय समूह वाले स्कूली बच्चों पर किये गये सर्वेक्षण (2004-05)

से पता चलता है कि 10–20 प्रतिशत बच्चे अतिपोषण के शिकार हैं, जिसका मुख्य कारण शारीरिक श्रमकी कमी देखी जाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एजेण्डे (1998) में तो कहा गया है कि “स्वास्थ्य के उच्च मानदण्ड का सुख प्राप्त करना, प्रत्येक मानव का मौलिक अधिकार है और इसे जाति, धर्म, क्षेत्र, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों से कोई लेना-देना नहीं है।” परन्तु भारत जैसे गरीब देश के लिए, वर्तमान परिस्थितियों में स्थानीय सुलभ खाद्य-वस्तुओं के प्रयोग का ज्ञान प्रत्येक माताओं के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या ने खाद्यान्न-उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को बहुत हद तक प्रभावित किया है। भर पेट भोजन प्राप्त करने वाले लोग भी, उचित पोषण एवं जानकारी के अभाव में कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए यदि माताओं को उचित खाद्य वस्तुओं का ज्ञान होता तो वे सीमित साधनों में ही बच्चों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को कुछ सीमा तक पूर्ण कर सकती हैं। गर्भ में आते ही एक बच्चे का पोषण स्वतः आरम्भ हो जाता है परन्तु उस बच्चे के ऊपर कुपोषण का प्रभाव, उनके स्वयं द्वारा किये गये कार्यों या इच्छाओं से नहीं पड़ता बल्कि कुपोषित करने में हमारी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक वातावरण ही जिम्मेदार होते हैं।

### 1.1 शोध समस्या एवं अभिकथन

अध्ययन की आवश्यकता एवं सुविधा के दृष्टिकोण से आहार की भू-भागीय भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, शोध शीर्षक को केवल देहरादून जनपद के पूर्व-विद्यालयीय बच्चों पर केन्द्रित कर, निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है—

## 2. अनुसंधान क्रियाविधि

‘वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि’ क्षेत्रीय स्रोत के रूप में व्यक्तियों का प्रयोग करता हुआ, विभिन्न उपकरणों और प्रविधियों के माध्यम से वांछित चरों का निरूपण एवं विवरण प्रस्तुत कर उनके परस्पर सह-सम्बन्धों का ज्ञान प्रस्तुत करता है। जैसा कि मोर्स (1924) ने भी कहा है कि “सर्वेक्षण एक विशेष सामाजिक स्थिति, समस्या अथवा समष्टि से सम्बन्धित उद्देश्य के हेतु व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक विश्लेषण की एक विधि होता है।”

सर्वेक्षण अनुसंधान में एक सम्भावना यह भी रहती है कि प्रस्तावित चरों के साथ अन्य चरों के सार्थक सम्बन्धों की सामान्य समस्या को भी स्पष्ट करते हैं। ‘सर्वेक्षण विधि’ में एक ही समय में, तुलनात्मक रूप से एक बड़ी

संख्या से प्रदत्त संकलन किया जाता है। इसमें व्यक्ति की विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका सम्बन्ध सामान्यीकृत उस सांख्यिकी से होता है जो कई व्यक्तियों से प्राप्त हुआ रहता है तथा जिसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय चरों के वितरण और सम्बन्ध को मानना रहता है। इसलिए प्रस्तुत शोध में 'वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि' का उपयोग किया गया है।

## 2.1 जनसंख्या

शोध अध्ययन से सम्बन्धित वे समस्त इकाइयाँ जो अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, सामूहिक रूप से जनसंख्या (समष्टि) के रूप में जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन इकाइयों पर शोधकर्ता, शोध कर रहा है उन इकाइयों की समस्त संख्या 'जनसंख्या' के अन्तर्गत आती है। जनसंख्या के एक सदस्य को इकाई कहा जाता है जबकि एक इकाई के बड़े समूह को जनसंख्या कहा जाता है। अध्ययन की इकाइयाँ मनुष्य, पशु, कोई वस्तु, कोई परीक्षण, कोई प्रयोग या कुछ भी हो सकता है।

इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत शोध कार्य हेतु देहरादून जनपद के ग्रामीण अंचल में समेकित बाल विकास सेवा केन्द्रों में, सत्र 2008-09 में नामांकित पूर्व-विद्यालयीय बच्चे (3-6 वर्ष), आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं समेकित बाल विकास सेवा में नामांकित पूर्व-विद्यालयीय बच्चों (3-6 वर्ष) के अभिभावकों को जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है।

## 3. परिणाम और चर्चा

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु समेकित बाल विकास सेवा से पूरक आहार प्राप्त करने वाले पूर्व-विद्यालयीय बच्चों (3-6 आयु वर्ग) के शारीरिक भार एवं लम्बाई को माप कर, उसे दिये गये मानक से तुलना किया गया है जिससे पूरक-आहार प्राप्त करने वाले बच्चों पर, पूरक-आहार से उनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात किया जा सके। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित तालिकाओं की रचना कर, व्याख्या प्रस्तुत किया गया है।

तालिका सं० : 1

बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का निरीक्षण

(Girl mean ± SD weight (kg) by different age group (36-72 month)

Age group (month)	No.	Mean ± SD of girl weight		Statistical values	Level of significance
		Study Group	Control Group		
36-48	92	13.55±2.51	14.63±2.43	t=2.909; df=91	0.01
48-60	96	13.62±2.58	16.86±3.09	t=7.890; df=95	0.01
60-72	101	13.37±2.79	19.14±3.64	t=11.939;df=100	0.01
<b>Total</b>	<b>289</b>	<b>13.51±2.62</b>	<b>16.95±3.61</b>	<b>t=12.68;df=288</b>	<b>0.01</b>

तालिका के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 36 माह से 48 माह आयु वर्ग के लड़कियों के भार का मध्यमान 13.55 प्राप्त हुआ है तथा इसी आयु वर्ग हेतु स्थापित भार सम्बन्धी मानक में लड़कियों का मध्यमान 14.63 दिया गया है। इसी प्रकार 48 माह से 60 माह आयु समूह के लड़कियों के भार का मध्यमान 13.62 प्राप्त हुआ है जबकि निर्धारित मानक मध्यमान 16.86 इसी आयु समूह की लड़कियों हेतु दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि स्थापित मानक की तुलना में, 48 माह से 60 माह आयु वर्ग की पूर्व-विद्यालयीय लड़कियां कम भार रखती हैं। उपर्युक्त तालिका के निरीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि निर्धारित मानक समूह एवं प्रति चयनित समूह विश्वसनीयता के 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर प्रदर्शित करते हैं।

**तालिका संख्या 2**

**विभिन्न आयु समूह (3–6 वर्ष) के लड़कियों की ऊँचाई के मध्य मानक से परस्पर तुलना**

**(Girls) means ± SD height (cm) by different age group (36-72 month)**

Age group (month)	No.	Mean ± SD of Girls Height		Statistical values	Level of Significance
		Study Group	Control Group		
36-48	92	103.13±9.30	96.28±5.61	t=6.099; df=91	0.01
48-60	96	102.61±8.13	103.27±6.08	t= 0.650; df=95	N.S.
60-72	101	102.74±9.19	110.15±6.33	t= 6.541; df=100	0.01
<b>Total</b>	<b>289</b>	<b>102.82±8.86</b>	<b>103.45±8.26</b>	<b>t=0.871;df=288</b>	<b>N.S.</b>

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 36 माह से 48 माह आयु वर्ग के लड़कियों की ऊँचाई का मध्यमान 103.13 प्राप्त हुआ है और इसी आयु वर्ग के लड़कियों का निर्धारित मानक मध्यमान 96.28 ज्ञात है। इससे स्पष्ट होता है कि 3 से 4 वर्ष की पूर्व-विद्यालयीय लड़कियां, निर्धारित मानक की तुलना में अधिक ऊँचाई रखती है। इसी तालिका के 'टी' मूल्य से भी ज्ञात होता है कि 0.01 स्तर पर दोनों समूह आपस में सार्थक अन्तर रखते हैं। विभिन्न आयु समूह की लड़कियों में 48 माह से 60 माह आयु समूह की तालिका के दृष्टावलोकन से स्पष्ट होता है कि इनका ऊँचाई सम्बन्धी मध्यमान 102.89 प्राप्त हुआ है जबकि इसी आयु समूह की लड़कियों का मानक मध्यमान 103.27 ज्ञात है। इन मध्यमानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों मध्यमानों के मध्य आपस में बहुत अन्तर नहीं है। अर्थात् निर्धारित मानक को 4 से 5 वर्ष की लड़कियां

लगभग पूरा करती है। 'टी' मूल्य से भी ज्ञात होता है कि दोनों समूह आपस में कोई सार्थक अन्तर इंगित नहीं कर रहे हैं। उपर्युक्त तालिका के निरीक्षण से यह भी ज्ञात होता है कि 60 माह से 72 माह आयु वर्ग की लड़कियों का ऊँचाई सम्बन्धी स्थापित मानक मध्यमान 110.15 दिया हुआ है तथा इसी आयु वर्ग की आई0सी0डी0एस0 लाभान्वित लड़कियों का मध्यमान 102.74 प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्थापित मानक की तुलना में, अध्ययन में सम्मिलित लड़कियाँ कम ऊँचाई की हैं। ये दोनों समूह की लड़कियाँ 'टी' मूल्य के 0.01 विश्वसनीयता स्तर पर भी सार्थक अन्तर प्रदर्शित करती है। इस व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि 3 से 4 एवं 5 से 6 वर्ष आयु समूह की पूर्व-विद्यालयीय लड़कियाँ निर्धारित मानक की तुलना में कम ऊँचाई की है जबकि 4 से 5 वर्ष आयु समूह की लड़कियाँ निर्धारित मानक को लगभग पूरा करती है। पूर्व-विद्यालयीय लड़कियों की ऊँचाई का संयुक्त मध्यमान 102.82 प्राप्त हुआ है तथा निर्धारित मानक मध्यमान 103.45 है जिससे ज्ञात होता है कि 3 से 6 वर्ष की लड़कियाँ निर्धारित मानक को लगभग पूरा कर रही हैं। 'टी' मूल्य के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि दोनों समूह के मध्यम कोई सार्थक अन्तर नहीं है। उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 3 से 4 वर्ष आयु समूह की लड़कियाँ निर्धारित मानक से अधिक ऊँचाई रखती हैं तथा 4 से 5 वर्ष की लड़कियाँ निर्धारित मानक के लगभग बराबर हैं।

**तालिका संख्या 3**

**विभिन्न आयु समूह (3-6 वर्ष) के लड़कों का भार के मध्य मानक से परस्पर तुलना**

**Boys mean ± SD weight (kg) by different age group (36-72 month)**

Age group (month)	No.	Mean ± SD of Boys height		Statistical values	Level of significance
		Study Group	Control Group		
36-48	93	12.57±2.31	14.99±0.75	t= 9.780; df=92	0.01



48-60	67	15.08±1.95	17.47±0.67	t=15.201; df=66	0.01
60-72	51	15.88±2.14	19.78±0.72	t= 7.771; df=50	0.01
<b>Total</b>	<b>211</b>	<b>14.17±2.59</b>	<b>16.94±2.06</b>	<b>t=17.567; df=210</b>	<b>0.01</b>

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 36 माह से 48 माह आयु समूह के लड़कों का भार सम्बन्धी मध्यमान 12.57 प्राप्त हुआ है जबकि इसी आयु समूह के लड़कों का निर्धारित मानक मध्यमान 14.99 है। इससे ज्ञात होता है कि निर्धारित मानक की तुलना में न्यादर्श में सम्मिलित लड़के कम भार के हैं। दोनों समूह के मध्यमानों के मध्य 'टी' मूल्य से भी स्पष्ट होता है कि 0.01 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक अन्तर रखते हैं। 48 माह से 60 माह आयु वर्ग के लड़कों के भार का मध्यमान उपर्युक्त तालिका में 15.08 ज्ञात हुआ है तथा इसी आयु वर्ग के लिए स्थापित भार सम्बन्धी मानक मध्यमान 17.47 निर्धारित किया हुआ है। इन दोनों मध्यमानों के अवलोकन से इंगित होता है कि 48 से 60 माह आयु वर्ग के लड़के, स्थापित मानक से कम भार रखते हैं। 'टी' मूल्य के दृष्टावलोकन से भी स्पष्ट होता है कि 0.01 स्तर पर, दोनों समूह सार्थक अन्तर प्रदर्शित करते हैं।

उपर्युक्त तालिका से यह भी प्रदर्शित होता है कि 60 माह से 72 माह आयु समूह के लड़कों का भार सम्बन्धी मध्यमान 15.88 तथा निर्धारित भार सम्बन्धी मानक मध्यमान 19.78 है जिससे ज्ञात होता है कि 60 से 72 माह अर्थात् 5 से 6 वर्ष आयु समूह के लड़के निर्धारित मानक से कम भार के हैं। इन मध्यमानों के 'टी' मूल्य से भी दृष्टिगत होता है कि दोनों समूह के लड़के 0.01 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक अन्तर रखते हैं।

सभी आयु वर्ग के लड़कों का भार सम्बन्धी प्राप्त मध्यमान 14.17 प्राप्त हुआ है तथा मानक मध्यमान 16.94 दिया गया है जिससे ज्ञात होता है कि 3 से 6 आयु समूह के लड़के भार सम्बन्धी मानक को पूरा नहीं करते

है। 'टी' से भी होता है कि 0.01 स्तर पर दोनों समूह सार्थक अन्तर रखते हैं। उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 3-6 वर्ष के पूर्व-विद्यालयीय लड़के भार के परिप्रेक्ष्य में पूरक आहार का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

**तालिका संख्या 4**

**विभिन्न आयु समूह (3-6 वर्ष) के लड़कों की ऊँचाई के मध्य मानक से परस्पर तुलना**

**Boys mean  $\pm$  SD height (cm) by different age group (36-72 month)**

Age group (month)	No.	Mean $\pm$ SD of Boys height		Statistical values	Level of significance
		Study Group	Control Group		
36-48	93	98.30 $\pm$ 7.95	97.85 $\pm$ 2.44	t=3.143; df=92	0.01
48-60	67	105.59 $\pm$ 6.37	106.02 $\pm$ 1.85	t=2.063; df=66	0.05
60-72	51	111.12 $\pm$ 5.05	112.62 $\pm$ 2.43	t=0.403; df=50	NS
<b>Total</b>	<b>211</b>	<b>103.71<math>\pm</math>8.60</b>	<b>104.02<math>\pm</math>42</b>	<b>t=0.615;df=210</b>	<b>NS</b>

तालिका से ज्ञात होता है कि 36 माह से 48 माह आयु समूह के छात्रों का ऊँचाई सम्बन्धी मध्यमान 98.30 प्राप्त हुआ है जबकि इसी आयु समूह के पूर्व-विद्यालयीय लड़कों का निर्धारित ऊँचाई सम्बन्धी मानक माध्यमान 97.85 है इससे ज्ञात होता है कि निर्धारित ऊँचाई सम्बन्धी मानक की तुलना में, अध्ययन में सम्मिलित लड़के अधिक ऊँचाई रखते हैं। यह अन्तर 'टी' मूल्य से भी दृष्टिगत होता है जो विश्वसनीयता के 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर प्रदर्शित करते हैं। 48 माह से 60 माह आयु वर्ग के लड़कों के लिए ऊँचाई सम्बन्धी मध्यमान 106.02 मानक के रूप में निर्धारित है तथा शोध में चयनित इसी आयु समूह के लड़कों का

ऊँचाई मध्यमान 105.59 प्राप्त हुआ है इससे स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में सम्मिलित लड़के, निर्धारित ऊँचाई सम्बन्धी मानक की तुलना में कम ऊँचाई के हैं। 'टी' मूल्य के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि दोनों समूह, 0.05 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक अन्तर रखते हैं।

उपर्युक्त सभी समूह के छात्रों का संयुक्त मध्यमान 103.71 ज्ञात हुआ है और मानक मध्यमान 104.02 निर्धारित है जिससे स्पष्ट होता है कि 3 से 6 वर्ष पूर्व-विद्यालयीय लड़के स्थापित ऊँचाई सम्बन्धी मानक को पूरा कर रहे हैं।

ज्ञात होता है कि 36 माह से 48 माह आयु समूह के पूर्व-विद्यालयीय लड़कों का निर्धारित बी0एम0आई0 मानक मध्यमान 15.50 ज्ञात है जबकि अध्ययन से इसी आयु समूह हेतु प्राप्त बी0एम0आई0 मध्यमान 13.04 प्राप्त हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि निर्धारित मानक की तुलना में 36 से 48 माह आयु समूह के लड़के कम भार व ऊँचाई रखते हैं। 'टी' मूल्य के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि 0.01 स्तर पर दोनों समूह के लड़के आपस में सार्थक अन्तर प्रदर्शित करते हैं।

#### **4. निष्कर्ष**

अवलोकन से ज्ञात होता है कि 48 माह से 60 माह आयु वर्ग के लड़कों का बी0एम0आई0 मध्यमान 13.56 प्राप्त हुआ है एवं इसी आयु वर्ग हेतु निर्धारित बी0एम0आई0 मानक मध्यमान 15.47 ज्ञात हुआ है। इन दोनों मध्यमानों से स्पष्ट होता है कि स्थापित बी0एम0आई0 मानक की तुलना में न्यादर्श में चयनित लड़के कम मध्यमान के हैं। 'टी' मूल्य से भी दृष्टिगोचर होता है कि सार्थकता के 0.01 स्तर पर दोनों समूह के मध्य पर्याप्त अन्तर है।

निरीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि 60 माह से 72 माह आयु वर्ग के पूर्व-विद्यालयीय लड़कों का बी0एम0आई0 मध्यमान 12.83 प्राप्त हुआ है और निर्धारित बी0एम0आई0 मानक मध्यमान 15.40 ज्ञात है। इससे स्पष्ट होता है कि निर्धारित बी0एम0आई0 मानक की तुलना में 60 से 72 माह आयु वर्ग के लड़के कम बी0एम0आई0 मध्यमान रखते हैं। 'टी' मूल्य के अवलोकन से भी दृष्टिगत होता है कि दोनों समूह के लड़के 0.01 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक अन्तर रखते हैं अर्थात् निर्धारित मानक की तुलना में 5 से 6 वर्ष के बच्चे कम भार व ऊँचाई के हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु समूह के

पूर्व-विद्यालयीय लड़के ऊँचाई एवं भार के सम्बन्ध में निर्धारित मानक से कम मान रखते हैं अर्थात् आई0सी0डी0एस0 परियोजना के पूरक आहार का समुचित लाभ इन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है।

अधिकांश केन्द्रों पर परम्परागत ईंधन ही उपयोग में लाया जाता है जिससे खाद्य-सामग्री जैसे-तैसे पक तो जाती है, परन्तु राख एवं धुँए से खाद्य-सामग्री प्रभावित होती है। इसके लिए गैर-परम्परागत वैकल्पिक ईंधन के साधनों पर बल दिये जाने की आवश्यकता है। समय-समय पर सभी आई0सी0डी0एस0 केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण को और प्रभावशाली बनाने से पूरक-आहार की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को कुछ हद तक बनाये रखा जा सकता है। पूरक आहार का बच्चों पर होने वाले लाभ को ज्ञात करने हेतु पर्याप्त उपकरण/यन्त्र उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिससे बच्चों को शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप खाद्य-सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सके। मातृ-समितियों को पुनर्संगठित एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है जिससे वे इस योजना में रूचि लेकर पारदर्शिता पूर्वक कार्य सम्पादित करने में सहयोग प्रदान कर सकें। खाद्य-सामग्री की कालाबाजारी रोकने, बच्चों की संख्या के अनुपात में पोषाहार उपलब्ध कराकर तथा उसे स्वादिष्ट एवं गुणवत्ता को बनाये रखकर बच्चों की पलायन दर को रोका जा सकता है एवं आई0सी0डी0एस0 के प्रति अभिभावकों के विश्वास को बनाये रखा जा सकता है। आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/कार्यकर्त्रियों एवं उससे जुड़े सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों को अपने निष्पादन-स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे पूर्व-विद्यालयी बच्चों को पर्याप्त गुणवत्तायुक्त पोषाहार मिल सके तथा बच्चे आई0सी0डी0एस0 केन्द्र पर लम्बे समय तक रुककर लाभ प्राप्त कर सकें। व्यक्ति/समुदाय/ग्राम पंचायतों/ऐच्छिक संस्थाओं को भी जागरूक करने की आवश्यकता है जो 'बच्चे ही भावी युवा एवं समाज के कर्णधार होते हैं' को सार्थक सिद्ध किया जा सके।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

- जिमा.वी. पीटर. (2010), "मॉडर्न/पोस्टमॉडर्न सोसाइटी, फिलॉसफी, लिटरेचर"। कॉन्टिनम इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप, लंदन
- निर्मलादेवी, एस (2005): अध्यापन के प्रति दृष्टिकोण का आकलन। एडुट्रैक्स, 4(12), 29-30।
- नारायण कोटेश्वर एम (1997): "व्यक्तित्व कारकों, अध्ययन की आदतों और अन्य चर के संबंध में उपलब्धि पढ़ना।" पीएचडी थीसिस, एसवीयू तिरुपति।

- परमार, एस.ए.टी.अल (2008): शिक्षण पेशे और शिक्षण योग्यता के प्रति छात्र शिक्षकों का दृष्टिकोण। विश्वविद्यालय समाचार, 46(17), पीपी। 9–15.
- परमेष, सी.आर. (1971): क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट। शैक्षिक रुझान, 18.
- प्रधान नित्यानंद (२००६): एडुट्रैक्स को पढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी।
- पांडा, बी.एन. (1997): शिक्षक शिक्षा, ए.पी.एच. प्रकाशन निगम, नई दिल्ली।
- पाणिग्रही, मानस राजन (2005): हाई स्कूल के छात्रों की बुद्धि और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में अकादमिक उपलब्धि। एडुट्रैक्स, वॉल्यूम 5(2), अक्टूबर नई दिल्ली।
- कुराशी, जेडएम (1972): शिक्षकों का व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और कक्षा व्यवहार। भारतीय निबंध सार खंड 4
- रैना, टी.एन. और रैना, एम.के. (1968): एटिट्यूड चेंजेस ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट टीचर्स जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी रिव्यू 8(8), पीपी 125–133.
- रशीद, अली अल-साहेल (२००५): कुवैत स्कूल मनोविज्ञान इंटरनेशनल, २६, पीपी, ४७८– ४६३ में प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्धि के तहत शिक्षकों की धारणा।
- रामकृष्णैया, डी. (1980): नौकरी से संतुष्टि का एक अध्ययन, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और कॉलेज के शिक्षकों की नौकरी में भागीदारी। अप्रकाशित एम.फिल, शोध प्रबंध, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय।
- राव, दिगुमर्ती भास्कर (2001) भारत में शिक्षक शिक्षा। डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- रोस्टकर, एल.ई. (1965) शिक्षण क्षमता का मापन। प्रायोगिक शिक्षा का जर्नल, नंबर 14, पी। 6–51.